उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग आयोग भवन, हरिद्वार–249404 *Website: www.ukpsc.gov.in*	(01334) 244143 (01334) 244282 (FAX) 07060002410
विज्ञप्ति संख्या :: 129 /46/E-1/DR(PCS)/2020-21	दिनाँक 07 दिसम्बर, 2021

अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि–पत्र

(उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021)

''उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021'' के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पूर्व में विज्ञापन संख्या : A-1/E-1/PCS-2021/2021-22 दिनाँक 10 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किया गया था, जिसके सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2021 थी। अद्यतन शासन द्वारा पूर्व में विज्ञापित कतिपय पदों के संशोधित अधियाचन एवं कतिपय अन्य विभागों के नवीन अधियाचन उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त अधियाचनों के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन संख्या के द्वारा विज्ञापित रिक्त 224 पदों के साथ नवीन 94 रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुये शुद्धि–पत्र प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकार कुल रिक्त **318 पदों** के सापेक्ष अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

2. विज्ञापन संख्या : A-1/E-1/PCS-2021/2021-22 दिनाँक 10 अगस्त, 2021 द्वारा विज्ञापित पदों के सापेक्ष शासन से प्राप्त संशोधित अधियाचन के क्रम में रिक्त पदों का श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग	वेतनमान	रिक्तियां	ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण					क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण
				अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
1.	पुलिस उपाधीक्षक (गृह विभाग)	56100-177500 Level-10	10	09	–	–	–	01	उ0म0–03 (अना0)
2.	वित्त अधिकारी (वित्त विभाग)	56100-177500 Level-10	18	10	04	–	02	02	उ0म0–04(अना0– 03, अनु0जाति–01) पूर्व सैनिक–01 (अना0) दिव्यांगजन–01(अना0) चलन क्रिया–OA, OL,
3.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (परिवहन विभाग)	56100-177500 Level-10	11	07	01	–	02	01	उ0म0–02 (अना0)
4.	सहायक निदेशक कारखाना/बॉयलर (श्रम विभाग)	56100-177500 Level-10	04	02	01	–	01	–	–
5.	खण्ड विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग)	56100-177500 Level-10	28	16	07	–	03	02	उ0म0–08(अना0–06, अनु0जाति–01 अ0पि0व0–01) पूर्व सैनिक–01(अना0), अनाथ बच्चे–01(अना0) दिव्यांगजन–01 (01 अना0) (OA, OL, PB, PD)
6.	उप शिक्षा अधिकारी	56100-177500 Level-10	32	25	04	–	–	03	उ0म0–10 (अना0–08, अनु0जाति–01, ई0डब्लू0एस0–01)

	(शिक्षा विभाग)								पूर्व सैनिक–01(अना0), अनाथ बच्चे–01(अना0) दिव्यांगजन–01(01 अना0) **(OA, OL, B, PB, PD, D)**
7.	सूचना अधिकारी / जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	44900-142400 Level-7	14	08	03	–	02	01	उ0म0 –02 (अना0)
8.	परिवहन कर अधिकारी–1 (परिवहन विभाग)	44900-142400 Level-7	05	03	01	–	01	–	–
9.	बाल विकास परियोजन अधिकारी (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)	35400-112400 Level-6	19	12	04	–	02	01	उ0म0–04 (03 अनारक्षित, 01 अनु0जाति) दिव्यांगजन–01 (01 अनारक्षित) **(OA, B, PB, PD)**

3. शासन द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न विभागों के नवीन अधियाचनों के अनुक्रम में नवीन विज्ञापित पदों का श्रेणीवार / उपश्रेणीवार विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	**पदनाम / विभाग**	**वेतनमान**	**रिक्तियां**	**ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण**					**क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण**
				अनारक्षित.	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
1.	डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक विभाग)	56100-177500 Level-10	10	06	01	01	01	01	उ0म0–02 (अना0)
2.	कारागार अधीक्षक (गृह विभाग)	56100-177500 Level-10	03	02	01	–	–	–	–
3.	सहायक आयुक्त (वित्त विभाग)	56100-177500 Level-10	16	11	02	–	02	01	उ0म0–03 (अना0)
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी (समाज कल्याण विभाग)	56100-177500 Level-10	05	03	01	–	01	–	–
5.	संपादक (सूचना विभाग)	56100-177500 Level-10	01	01	–	–	–	–	–
6.	कार्य अधिकारी (पंचायती राज विभाग)	56100-177500 Level-10	05	03	01	–	01	–	उ0म0–01 (अना0)
7.	राज्य कर अधिकारी (वित्त विभाग)	44900-142400 Level-7	28	16	05	01	03	03	उ0म0–05 (अना0–04, अनु0जाति–01)
8.	उप निबन्धक श्रेणी–II (वित्त विभाग)	44900-142400 Level-7	12	07	03	–	01	01	उ0म0–02 (अना0)

9.	फीचर लेखक (सूचना विभाग)	44900-142400 Level-7	01	01	–	–	–	–	–
10	जिला परिवीक्षा अधिकारी (महिला कल्याण विभाग)	44900-142400 Level-7	02	01	01	–	–	–	–
11	केस वर्कर (महिला कल्याण विभाग)	35400-112400 Level-6	03	02	01	–	–	–	–
12	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	35400-112400 Level-6	02	01	01	–	–	–	–
13	अधीक्षक, राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह), राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह तथा राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र (समाज कल्याण विभाग)	35400-112400 Level-6	03	02	01	–	–	–	–
योग			**91**	**56**	**18**	**02**	**09**	**06**	

4. **पद का स्वरूप :** 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021' में उक्तांकित पदों के सम्बन्ध में तालिका के क्रमांक–6 पर अंकित कार्य अधिकारी का पद अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशन एवं क्रमांक–12 पर अंकित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पद राजपत्रित, अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त तथा क्रमांक–1, 2, 3, 4 ,5, 7, 8, 9, 10, 11 व 13 के पद राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त हैं।

5. 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021' में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता निम्नवत् है–

(1) **डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक विभाग)**

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में उपाधि **या** उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता।

(ख) अधिमानी अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; **या**
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोट :– अनारक्षित पदो के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी–BA, OL, OA, PB, PD

(2) **कारागार अधीक्षक (गृह विभाग)**

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : जिला कारागारों के अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास–
(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और
(ब) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

नोट– अन्य बातों के समान होने पर अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

(ख) अधिमानी अर्हता : कोई अभ्यर्थी जो–

(1) कम से कम दो वर्ष की अवधि तक प्रादेशिक सेना मे सेवा कर चुका है, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स का ''बी'' प्रमाण–प्राप्त कर चुका है,
उसे अन्य बातों के सामान होने पर सीधी भर्ती मे वरीयता प्रदान की जायेगी।

(ग) शारीरिक मापदण्ड :– सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक स्तर का होः–

(एक) ऊंचाई 168 से0मी0 और कुमायूं और गढ़वाल सम्भाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 से0मी0 से कम नहीं।
(दो) सीने का घेरा 81.3 से0मी0 (बिना फुलाये) और 86.3 से0मी0 (फुलाने पर)
(तीन) दृष्टि 6/6।

टिप्पणी– चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियमान वही होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।
नोटः–1. ''कारागार अधीक्षक पद हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होगा, जो उक्तांकित शारीरिक मापदण्ड के मानक को पूर्ण करता हो।
2. कुमायूं और गढ़वाल सम्भाग के अभ्यर्थियों को ऊंचाई में छूट पाने हेतु ऑनलाईन आवेदन में दावा करते हुए मुख्य परीक्षा से पूर्व मांगे जाने पर उक्त दावे के समर्थन में परिशिष्ट–5 में दिये गये प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

(3) सहायक आयुक्त (वित्त विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : सेवा मे सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए।
(ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थी को, अन्य बातों के समान होते हुए भी, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–
(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बाते समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
नोट :– अनारक्षित पदो के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी–OL

(4) जिला समाज कल्याण अधिकारी (समाज कल्याण विभाग)

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय **अथवा** विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो
अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

नोट :– अनारक्षित पदो के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी–OA, OL, PB, PD

(5) संपादक (सूचना विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(दो) किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या सम्पादकीय कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।

(ख) अधिमानी अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगाः–
(एक) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

(6) कार्य अधिकारी (पंचायती राज विभाग)

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(7) राज्य कर अधिकारी (वित्त विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए।
(ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थी को अन्य बाते समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –
(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
नोट :– अनारक्षित पदो के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी– OL

(8) उप निबन्धक श्रेणी–II (वित्त विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : उप निबन्धक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
(ख) अधिमानी अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने :–
(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

नोटः– अनारक्षित पदो के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी– OA, OL, PB, PD

(9) फीचर लेखक (सूचना विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक।
(ख) अधिमानी अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अथ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा :–
(एक) समाचार–पत्रों और पत्र–पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लेखन का तीन वर्ष का अनुभव।
(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सस्था से संगीत/प्रकाशन–व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में एक वर्षीय डिप्लोमा।
(तीन) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोटः– अनारक्षित पदो के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी– OA, OL, PB

(10) जिला परिवीक्षा अधिकारी (महिला कल्याण विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक

कार्य में स्नाकोत्तर उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि।
(2) सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव।

नोटः– अनारक्षित पदो के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी– OA, OL, PB, PD

(11) केस वर्कर (महिला कल्याण विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र **या** अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नाकोत्तर उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि।
(2) सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव।

(12) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि **या** सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होना आवश्यक है।

(ख) अधिमानी अर्हता : (1) समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य विषय में स्नात्तकोत्तर की उपाधि।
(2) किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी अल्पसंख्यक कल्याण संस्था को प्रशासनिक या पर्यवेक्षी हैसियत से चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
(3) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो या
(4) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोटः– अनारक्षित पदो के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी– OA, OL, PD

(13) अधीक्षक, राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह), राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह तथा राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र (समाज कल्याण विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय **अथवा** विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो **अथवा** भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि।
(ख) अधिमानी अर्हता : (1) अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।
(2) किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी समाज कल्याण संस्था को प्रशासनिक या पर्यवेक्षी हैसियत से चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव
(3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक संस्थान से कटाई, सिलाई और बुनाई में डिप्लोमा का प्रमाण–पत्र।

नोटः– अनारक्षित पदो के सापेक्ष आवेदन करने वाले दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी– OA, OL, PB, PD

6. ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया–

1. <u>उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021 हेतु पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों हेतु आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया/दिशा–र्निदेश</u>

1. अभ्यर्थी विज्ञापन/विज्ञप्ति का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर [Login] करें उसके पश्चात् [Add Extra Essential & Preferential Qualification] बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् प्रदर्शित सूचना

के आधार पर शैक्षिक अर्हता के अनुसार विकल्प का चयन करें। Submit पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

2. नवीन अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया /दिशा–निर्देश

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें। How to Apply page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् Basic Information फॉर्म पर अपनी सही जानकरी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No. एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details अथवा Proceed To Next Step बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर, Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate एवं Graduation का विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर Graduation/Post Graduation Details में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। उसके पश्चात् Add Extra Essential & Preferential Qualification बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् प्रदर्शित सूचना के आधार पर शैक्षिक अर्हता के अनुसार विकल्प का चयन कर Submit पर क्लिक करें।

उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। ततपश्चात् Upload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo एवं Signature के अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद Click here for Final Submission पर क्लिक करें। तत्पश्चात् Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) Final Submission के उपरान्त आवेदन पत्र में **त्रुटि होने पर** अभ्यर्थी अपना **आवेदन रद्द (Cancel)** कर **पुनः आवेदन** कर सकते हैं। **आवेदन रद्द (Cancel)** करने के लिए Login कर Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्यन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पजींकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा,

जिसको Enter OTP वाली फील्डस पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवदेन **रद्द (cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 Final Submission किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information , Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2 Final Submission **के पश्चात्** आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

7. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के क्रम में पूर्व में आवेदन नहीं किया गया है, वे अभ्यर्थी भी अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि पत्र के क्रम में आवेदन कर सकते हैं, तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका हैं, किन्तु वे पुनः नये आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे अपने पूर्व में किये गये आवेदन को **रद्द (Cancel)** करने के पश्चात् नये आवेदन कर सकते है। रद्द किये गये/पूर्व में किये गये आवेदन के सापेक्ष पूर्व में जमा परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

8. अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धिपत्र के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा और पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्व आवेदन पत्र को निरस्त कर पुनः आवेदन करने पर भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

9. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या :: A-1/E-1/PCS-2021/2021-22 दिनाँक 10 अगस्त, 2021 के सापेक्ष पूर्व में ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, और जो प्रश्नगत विज्ञापन में जोड़े जा रहे नवीन पदों के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हता धारित करने हैं को पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके द्वारा धारित/दावित अर्हता के आधार पर नवीन पदों के सापेक्ष भी विचारित किया जायेगा।

10. जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन संख्या :: A-1/E-1/PCS-2021/2021-22 दिनाँक 10 अगस्त, 2021 के क्रम में ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, किन्तु वे नवीन अधियाचित पदों के सापेक्ष अधिमानी अर्हता धारित करते हैं, को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाकर पूर्व में भरे गये ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करते हुए नवीन अधियाचित पदों के सापेक्ष अधिमानी अर्हता हेतु दावा कर सकते हैं।

11. जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन संख्या :: A-1/E-1/PCS-2021/2021-22 दिनाँक 10 अगस्त, 2021 के क्रम में ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, किन्तु वे नवीन अधियाचित पदों के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता के अन्तर्गत वांछित अनुभव तथा वांछित अनुभव से सम्बन्धित प्रमाण पत्र रखते हैं, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाकर पूर्व में भरे गये ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करते हुए अनिवार्य अर्हता के अन्तर्गत सम्बन्धित पद के सापेक्ष वांछित अनुभव का दावा कर सकते हैं।

12. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, यदि वे नवीन पदों के सापेक्ष अधिमानी अर्हता/अनिवार्य अर्हता के अन्तर्गत वांछित अनुभव का दावा नियत तिथि तक अपने ऑनलाइन आवेदन में नहीं करते हैं, तो उक्त के पश्चात् इस सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

13. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 04/XXXVI(3)/2020/73(1)/2019 दिनांक 03 जनवरी, 2020 के क्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के अन्तर्गत **पुत्री के पुत्र/पुत्री** को सम्मिलित करते हुए आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन संख्या : A-1/E-1/PCS-2021/2021-22, दिनाँक 10 अगस्त, 2021 के द्वारा विज्ञापित पदों के सापेक्ष ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी के अन्तर्गत अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि–पत्र के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

14. विज्ञापन संख्या :: A-1/E-1/PCS-2021/2021-22, दिनाँक 10 अगस्त, 2021 के द्वारा विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 264/XXX(2)/2021–30(10)/2019, दिनांक 27 अगस्त, 2021 के द्वारा समूह 'ख' के पदों पर चयन के सम्बन्ध में एक बार अधिवयस्क अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है।

15. विज्ञापन संख्या :: A-1/E-1/PCS-2021/2021-22, दिनाँक 10 अगस्त, 2021 के द्वारा विज्ञापित सहायक निदेशक, उद्योग/प्रबन्धक के पद पर अनारक्षित पदों के सापेक्ष दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए किसी भी श्रेणी को चिन्हित नहीं किया गया था। तदोपरान्त शासन द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत पद हेतु अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु दिव्यांगता की निम्नांकित श्रेणियां चिन्हित की गयी हैं–

OA, OL, PB, PD, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims.

(**i**) दिव्यांगता की उक्त श्रेणियों के जिन अभ्यर्थियो द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था तथा जो दिव्यांगता की उक्त श्रेणी से सम्बन्धित वैध प्रमाण पत्र धारित करते है, वे अभ्यर्थी अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि पत्र के क्रम में नवीन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(**ii**) जो अभ्यर्थी दिव्यांगता की उक्त श्रेणियों से आच्छादित हैं एवं दिव्यांगता की उक्त श्रेणी से सम्बन्धित वैध प्रमाण पत्र धारित करते है एवं पूर्व में विकलांगता की **OA, OL, PB, PD** श्रेणियों के अन्तर्गत ऑन आवेदन कर चुके हैं, उन अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी को सहायक निदेशक, उद्योग/प्रबन्धक के पद के सापेक्ष विचारित किया जायेगा।

16. अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि पत्र के क्रम में ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नगत परीक्षा के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की **अन्तिम तिथि 28 दिसम्बर, 2021 तक विज्ञापन एवं अतिरिक्त विज्ञापन/शुद्धि पत्र में उल्लिखित पदों के सापेक्ष वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।**

17. शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित अधियाचनों एवं नवीन अधियाचनों के क्रम में अभ्यर्थियो द्वारा शुद्धि पत्र के माध्यम से पूर्व में किये गये आवेदन में संशोधन करने एवं नवीन ऑनलाईन आवेदन करने हेतु तिथियां निम्नवत् है–

नवीन ऑनलाईन आवेदन करने/पूर्व में भरे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	::	08 दिसम्बर, 2021
नवीन ऑनलाईन आवेदन करने/पूर्व में भरे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अन्तिम तिथि	::	28 दिसम्बर, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

18. उक्त के अतिरिक्त **उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021** हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या :: A-1/E-1/PCS-2021/2021-22, दिनाँक 10 अगस्त, 2021 की शेष समस्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

Sd/-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव